न्यायालयः-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

//आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक (वर्ष-2022) संशोधन आदेश//

क्रमांक- 26/सी.जे.एम./2022 सीधी, दिनांक-20.06.2022

01. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक सी/640/जबलपुर दिनांक 18.02.2022 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू ए नम्बर- 120/2021 कल्लू खां विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 में अपने अनन्य एवं असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) को स्टक डाउन करते हुए उक्त धारा में एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म मृत्यु के प्रकरणों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिये गये अधिकार समाप्त करते हुए उक्त का अधिकार क्षेत्राधिकार धारक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को वैष्ठित किये जाने के फलस्वरूप मैं पुष्पक पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी धारा 14(1) व 15(2) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य सुविधा की दृष्टि से आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 11 में नोट कमांक "आर" के रूप में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के आवेदनों के निराकरण हेतु निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करता हूं:-

कमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार
1	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.)	सम्पूर्ण जिला सीधी के थानों से उद्भूत प्रकरण।

नोट- 1.-उपरोक्त आंशिक संशोधन आदेश के सिवाय शेष कार्य विभाजन संबंधी आदेश/चार्ज प्रभार/निर्देश यथावत रहेंगे।

(पुष्पक पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी, (म0प्र0)

(पुष्पक पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक 787 /2022 सीधी, दिनांक-20.06.2022

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय, मान्नीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय सीधी, (म.प्र.)
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी/चुरहट/रामपुरनैकिन/मझौली,
3. पुलिस अधीक्षक सीधी की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन,
5. जिला अभियोजन अधिकारी सीधी, सिस्टम आफीसर सीधी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुष्पक पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

(पुष्पक पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)